न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—366/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/366)

1. बिरदीचंद पुत्र नारायण जाति बैरवा
2. कल्याण पुत्र नारायण जाति बैरवा
   निवासीयान बोबास तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान
3. रामकुमार पुत्र भूरा,
4. रामोतार पुत्र भूरा
5. राजा देवी पुत्री भूरा पत्नि रामजीलाल आयु 49 साल जाति जाट निवासी मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
6. संतरा देवी पुत्री भूरा पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र हनुमान जाति बैरवा निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंट/वादी

2. हनुमान पुत्र रामसुख
3. मंजू पुत्री हनुमान
4. नीतु पुत्री हनुमान
   समस्त जाति बैरवा निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान।
5. रतिका आयु 13 साल पुत्री हनुमान नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सुरज्ञान देवी जाति बेरवा निवासी धमाणा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
6. रामप्रसाद आयु 16 साल पुत्र हनुमान नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सुरज्ञान देवी जाति बेरवा निवासी धमाणा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक/सब रजिस्ट्रार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी संख्या 1 से 8

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2021 राजस्व वाद संख्या 29/2021

उपस्थितः—

1. श्री, बलराज चौधरी व चन्दन सिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, त्रिलोकेश सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 3 से 6
3. श्री, संजय सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 27.03.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2021 राजस्व वाद संख्या 29/2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी शंकरलाल ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी/स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 8 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू जिला जयपुर में दिनांक 10.3.2021 को पेश किया। उक्त वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया दिनांक 22.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने राजीनामा पेश किया तथा दिनांक 27.09.2021 को वादी की ओर से पी0डब्ल्यू 1 शंकरलाल के शपथ पत्र पेश किए बयान लिए गए। प्रकरण में राजिनामा एवं इकबाली जवाब दावा के आधार पर दिनांक 06.10.2021 को वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 किता 6 कुल रकबा 9.4200 है0 खाता संख्या 311 के आगामी खसरा नम्बर 1468, 1469 किता 2 कुल रकबा 0.3700 है0 खाता संख्या 369 के आराजी खसरा नम्बर 1442, 1463, 2184/1462 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0800 है0 खाता संख्या 277 की आराजी खसरा नम्बर 1382, 2172/1373, 2173/1374, 2174/1375, 2175/1376, 2176/1377, 2177/1378, 2178/1379, 2179/1381, कुल किता 9 कुल रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में वादी को 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में वादी को 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,5 को प्रत्येक को 1/6—1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसकी अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 15.9.2022 को अपीलांटस अपनी खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर आराजी में बोई फसल काटने गए तो रेस्पोडेंटस नम्बर 1 लगायत 3 आडे फिर गए व न्यायालय से स्थगन जारी होना जाहिर किया जिस पर दिनांक 16.9.2022 को नकल का आवेदन कर दिनांक 19.9.2022 को नकल प्राप्त करने पर उक्त वाद सख्या 29/2021 निर्णय दिनांक 06.10.2021 की जानकारी होने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंटस ने जानबूझकर अपीलांटस संख्या 1, 2 एवं भूरा ने संयुक्त रूप से हनुमान रेस्पोडेंट से आराजी क्रय की थी को पक्षकार कायम न कर दुरभिसंधी से वाद डिक्री कराया है जिसमें अपीलांटस का हित निहित होने से धारा 96 के तहत आवेदन कर बाद ईजाजत उक्त निर्णय 06.10.2021 से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2021 राजस्व वाद संख्या 29/2021 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि अपीलांटस 1, 2 एवं उनके भाई भूरा को दिनांक 25.5.2005 को विक्रय की गई आराजी खसरा नम्बर 271 जिसके नए खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 बेचान पत्र दिनांक 25.5.2005 के आधार पर अपीलांटस संख्या 1,2 व उनके भाई भूरा की संताने काबिज काश्त है बेचान दिनांक 25.5.2005 जो दिनांक 28.06.2005 को उपपंजियक मौजमाबाद के यहां पंजियन हुई है के आधार पर अपीलांट व भूरा के नाम नामा0 न खुलने का फायदा उठाते हुए पुनः उक्त खातेदारी की आड में वाद संख्या 21 दिनांक 4.3.2020 शंकरलाल बनाम हनुमान आदि खसरा नम्बर 271 जिसके वर्तमान नम्बर 575 है का अपने पुत्र शंकरलाल से वाद घोषणा खातेदारी का दायर कराकर 1/6 हिस्सा अपनी पुत्री ऋचिका के नाम एंव 1/6 हिस्सा अपने पुत्र रामप्रसाद के नाम एवं 1/2 हिस्सा अपने पुत्र शंकरलाल यानि वादीगण/रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के नाम दुरभिसंधी से दर्ज करा दी और 1/6 हिस्सा हनुमान ने स्वयं के नाम रख लिया जब कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का या उनके पिता हनुमान का बेचान दिनांक 23.5.2005 के बाद कोई कब्जा काश्त नहीं रहा न वर्तमान में है उक्त खातेदारी की आड में न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के यहां रेवन्यू वाद अनुवानी ऋचिका वगैराह बनाम बिरदीचंद आदि दिनांक 8.7.2022 को मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर दिनांक 8.7.2022 को एकतरफा में खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 वाके धमाणा तहसील मौजमाबाद की मौका की यथास्थिति बनाए रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने का स्थगन जारी करा लिया जिसकी अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं हुई दिनांक 15.09.2022 को अपीलांटस अपनी खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर आराजी में बोई फसल काटने गए तो रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 आडे फिर गए व न्यायालय से स्थगन जारी होना जाहिर किया जिस पर दिनांक 16.9.2022 को नकल का आवेदन कर दिनांक 19.9.2022 को नकल प्राप्त करने पर उक्त वाद संख्या 29/2021 निर्णय दिनांक 6.10.2021 की जानकारी होने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंटस ने जानबूझकर अपीलांट संख्या 1, 2 एवं भूरा ने संयुक्त रूप से हनुमान रेस्पोडेंट से आराजी क्रय की थी अतः अपीलांटस को पक्षकार कायम न कर दुरभिसंधी से वाद डिक्री कराया है से असंतुष्ट होकर अपीलांटस अपने हितों की रक्षार्थ अपील पेश करना आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबैद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने

Scanned with CamScanner

पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में कथन किए गए कि अपीलांट्स संख्या 1 व 2 एवं उनके भाई भूरा को दिनांक 25.5.2005 को विक्रय की गई आराजी खसरा नम्बर 271 जिसके नए खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 बेचान पत्र दिनांक 25.5.2005 के आधार पर अपीलांट्स संख्या 1, 2 व उनके भाई भूरा की संतान काबिज काश्त है। बेचान दिनांक 25.5.2005 जो दिनांक 28.6.2005 को उप–पंजीयक मौजमाबाद के यहां पंजीयन हुई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थीगण अपीलांट्स जो आराजी खसरा संख्या 271 जिसके नए खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 वाके धमाणा जो अपीलांट्स संख्या 1, 2 व भूरा की खरीदशुदा है। अपीलांट्स उक्त आराजीयात के सदभावी क्रेतागण है इसलिए उन्हे उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की जावे। न्यायालय हाजा द्वारा जब उक्त बेचाननामे का अवलोकन किया गया तो यह तथ्य सामने आते है कि वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिस खसरा नम्बर बाबत अपील पेश करने हेतु अनुमति चाही गई है वह खसरा नम्बर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अंकित नहीं था क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2021 द्वारा जिन खसरा नम्बरों पर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 6 को खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया है। वह खसरा नम्बर अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 271 जिसके नए खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 है से बिल्कुल भिन्न है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट्स ने जिन आराजीयात बाबत वाद पेश किया था व जो अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, वह दोनों अलग–अलग आराजीयात से संबंधित है। अतः अपीलांट्स अपने वाद पत्र के माध्यम से यह बताने में पूर्णतः असफल रहे है कि वह किसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2021 से व्यथित व पीडित पक्षकार की श्रेणी में आते है। क्यों कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलांट्स ने खसरा नम्बर 271 जिसके नए खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 वर्तमान रेस्पोडेंट से जरिए पंजीबद्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है तो उन्हें उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का अनुतोष चाहिए तो उस बाबत वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है, परंतु उन्हें उक्त अपील के माध्यम से वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2021 में पारित निर्णय के विरूद्ध वह व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ने अपने समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि विवादित आराजीयात में उनका हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि डिक्री का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व डिक्री के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित*

Scanned with CamScanner

व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2021 राजस्व वाद संख्या 29/2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/03/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner